



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी. 145

A50

दिनांक:

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

CCF
2.0
27-4-18

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक-
143/14-2-2018-800(118)/2017, दिनांक- 19.03.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

- 1- Color coding in the .kml files (provided online) as well as in CD of proposed land to be diverted are in a single colour due to which the distinction between Forest land and Non-forest land is difficult. It should be in the different colours coding.
- 2- The data provided in CD should be divisions wise.
- 3- The key coordinates of proposed land to be diverted have not be given.
- 4- The proposed CA land for the both divisions i.e. Forest Division Renukoot and Obra are in linear format. The .kml file of proposed CA land shows presence of agricultural land which may be reviewed.
- 5- Cost Benefit analysis has not been provided as per new guideline of the Ministry.
- 6- CA scheme has not been submitted.
- 7- Alternatives of forest land have not been examined and details not provided.
- 8- FRA certificate has been obtained much earlier than date of submission of proposal by the Agency, which may be explained.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, संरक्षक {केन्द्रीय}

पत्रांक-24/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 24, 2018

- प्रतिलिपि- 1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- 2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- 3. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ० प्र०, लखनऊ।

व०

by mail
24/04/18

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 03

जुलाई
2018

विषय :-

सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों के पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

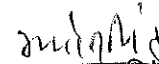
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/02/31/2018/एफसी/45 दिनांक 18.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 18.04.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।